Through Press Notifications, public at large is regularly advised to contact the above laboratories for free testing of water quality in case of any complaint.

Government Accommodation for Long Waiting Employees

1858. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have decided to bail out the out-of-turn allottees of Government accommodation, which the Supreme Court had ruled illegal allotment and ordered evictions;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government had taken into consideration the cases of Government employees who have not been allotted any accommodation despite rendering more than 25 years of service, before taking the above decision; and

(d) if so, the remedial steps taken to redress their grievances?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) The out of Turn Allotment of Residence (Validation) Ordinance, 1997 was promulgated on 21.6.97 to save out of turn allotees from eviction on humantarian grounds following the desire expressed by all the political parties. However, the out of turn allottees involved in subletting and who obtained such allotments by mis-representation of facts, by fraudulent means or where such allotment was of higher type than their entitlement, shall be evicted. A Bill has been introduced in the Lok Sabha to replace the Ordinance.

(c) and (d) A high powered Committee was set up under the Chairmanship of Director-General, Central Public Works Department, to consider the need for construction of more residential accommodation for augmenting the housing stock for General Pool. Two representations of the employees were associated with the Committee which has submitted its report.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फलैटों का बिना बारी आवंटन

1859. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बिना बारी के आवंटित किए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की आवंटितियों के नामों के साथ संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके मुख्यतः क्या कारण हैं;

(ख) ये आवंटन किन-किन क्षेत्रों में किए गए, भुगतान किस रूप में किया गया, किन-किन व्यक्तियों का आवंटन किया गया और ऐसे आवंटन किनकी सिफारिशों पर किये गए;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा विगत उक्त वर्षों के दौरान वर्षवार कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया था और उनमें से कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है; और

(घ) क्या न्यू पैटर्न हाउसिंग स्कीम, 1979 के आवंटितियो को मनोवांछित बस्ती चुनने का विकल्प नहीं दिया गया था?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सूचना के अनुसार गत पांच वर्षों के दौरान, 256 बिना-बारी आधार पर आवंटित किये गये थे। इन आबंटनों बाबत आवंटियों के नाम और आधार सहित आवंटन इलाके के वर्ष-वार ब्यौरे अनुपत्र में हैं। [देखिए परिशिष्ट 181 अनुपत्र संख्या 49] में हैं। बिना-बारी आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नकद भुगतान के आधार पर किये जाते हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत पांच वर्षों में निर्मित फ्लैटों का वर्ष विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	निर्मित फ्लैट
1992-93	7076
1993-94	0661
1994-95	6044
1995-96	2290
1996-97	7743

आबंटित फ्लैटों के वर्ष वार ब्यौरे नहीं दिये जा सकते, क्योंकि आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें वापस किये गये और निरस्त किये गये फ्लैट भी पुनः आबंटन हेतु शामिल होते है।